

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/997 दिनांक 19.5.09 के द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों की वर्ष 2001-02 से 2007-08 तक की एपीएआर प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यालय सहायक के पद पर चयन कर एपीएआर प्राप्त होने की शर्त के आधार पर परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया गया था । अब निम्नलिखित वरिष्ठ लिपिकों की संतोषजनक एपीएआर उपलब्ध होने पर सीलबन्द लिफाफा खोला जाकर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंका के आधार पर वर्ष 2008-09 की रिक्तियों के विरुद्ध कार्यालय सहायक के पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर एतद द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	जन्मतिथि	संवर्ग
1	श्री रतनलाल सैन	5.5.52	सामान्य
2	श्री बंशीदास बैरागी	13.3.53	सामान्य
3	श्री रतन सिंह	1.8.50	सामान्य
4	श्री कृष्णचन्द शर्मा	9.5.52	सामान्य
5	श्री शंकरलाल काला	14.1.58	अजा

चयनित कर्मचारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेंगे तथा पदोन्नति पर तदनुसार वे अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकेंगे ।

६

अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज० जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/1211

दिनांक:-24/7/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज०
- 2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय ।
- 4- आदेश/रक्षित पत्रावली ।



अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज० जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/ब0लि0/09/1211 दिनांक 24.7.09 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	श्री रतनलाल सैन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के अधीन
2	श्री बंशीदास बैरागी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ के अधीन
3	श्री रतन सिंह	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के अधीन
4	श्री कृष्णचन्द शर्मा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर	जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर
5	श्री शंकरलाल काला	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कांवाटिया चिकित्सालय, जयपुर	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर

उपरोक्त कर्मचारी अपने पदोन्नति स्थान पर दिनांक 10.8.09 तक कार्यग्रहण कर लें अन्यथा उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जायेंगे ।

नोट:- जो कर्मचारी पदोन्नति पर निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो उन्हें दिया गया चयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.2.98 में उल्लेखित प्रावधानानुसार तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया जाये तथा कर्मचारी को भी अवगत कराये । सूचना के अभाव में यदि कोई कर्मचारी वर्तमान में किसी कारण वश राज्य सेवा में नहीं हो, निलम्बित हो, लम्बे समय से अवकाश पर हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली हो या मृत्यु हो गई हो तो उनका नाम विलोपित समझा जाये ।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1)/डीओपी/ए-11 /95 दिनांक 20.6.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति अगले पांच वर्ष के लिए रूक जायेगी एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाये इस आशय का संबंधित कर्मचारी से संबंधित अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण कराये ।


अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज0 जयपुर

कमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/1217

दिनांक:-28/7/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0
- 2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय ।
- 4- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

  
अति0 निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज0 जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/व0लि0/09/587 दिनांक 8.9.08 के द्वारा श्री प्रभूदयाल बैरवा व0लि0 की वर्ष 2000-01 से 2006-07 तक की एपीएआर प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यालय सहायक के पद पर चयन कर एपीएआर प्राप्त होने की शर्त के आधार पर परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया गया था । अब श्री प्रभूदयाल बैरवा, व0लि0 की संतोषजनक एपीएआर उपलब्ध होने पर सीलबन्द लिफाफा खोला जाकर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर वर्ष 2007-08 की रिक्तियों के विरुद्ध कार्यालय सहायक के पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर एतद द्वारा पदोन्नत किया जाता है ।

चयनित कर्मचारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जायेगे तथा पदोन्नति पर तदनुसार वे अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकेंगे ।



अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज० जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/1208

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज०
- 2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3- आदेश / रक्षित पत्रावली ।
- 4- प्रमाडी, शंकर कम, भु० ।

दिनांक:-24/7/09



अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज० जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/व0लि0/09/1208 दिनांक 24.7.09 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत श्री प्रभूदयाल बैरवा, व0लि0 कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नति पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के अधीन कार्यालय सहायक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री प्रभूदयाल बैरवा अपने पदोन्नति स्थान पर दिनांक 10.8.09 तक कार्यग्रहण कर लें अन्यथा उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जायेंगे ।

श्री बैरवा द्वारा पदोन्नति पर निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर उन्हें दिया गया घयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.2.98 में उल्लेखित प्रावधानानुसार तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया जाये तथा कर्मचारी को भी अवगत कराये । सूचना के अभाव में यदि कर्मचारी वर्तमान में किसी कारण वश राज्य सेवा में नहीं हो, निलम्बित हो, लम्बे समय से अवकाश पर हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली हो या मृत्यु हो गई हो तो उनका नाम विलोपित समझा जाये ।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.6.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि श्री बैरवा के दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति अगले पांच वर्ष के लिए रूक जायेगी एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाये इस आशय का श्री बैरवा से संबंधित अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण कराये ।

अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज० जयपुर

दिनांक:- 28/7/09

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/1215

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज०
- 2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय ।
- 4- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राज० जयपुर